झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थल अवशेष तथा कलानिधि विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व–स्थल, अवशेष तथा कलानिधि विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

खण्ड–1		पृष्ठ
धाराएँ		
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
2.	परिभाषाएँ	1–2
3.	प्राचीन स्मारकों आदि को सुरक्षित स्मारक और क्षेत्र घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति	3
4.	किसी सुरक्षित स्मारक के अधिकार का अर्जन	4
5.	करार द्वारा सुरक्षित स्मारक का परिरक्षण	5–6
6.	यदि किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी अशक्त हो या वह स्मारक ग्राम–संपत्ति हो, तो उस स्मारक के संबंध में धारा 5 के अधीन की स्वामी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति	6–7
7.	किसी सुरक्षित स्मारक की मरम्मत के लिए धर्मस्व का उपयोग	7
8.	करान न करना या करने से अस्वीकार करना	7–8
9.	धारा 5 के अधीन किये गये करार के उल्लंघन के प्रतिषेध का आदेश देने की शक्ति	8
10.	करार का प्रवर्त्तन	8–9
11.	कुल नीलामों के खरीददार और स्वामी के जरिये दावा करने वाले व्यक्ति, स्वामी द्वारा निष्पादित लेखन से बाध्य होंगे	9

12.	सुरक्षित स्मारक का अर्जन	9
13.	कुछ सुरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण	9
14.	स्वैच्छिक अंशानुदान	10
15.	दुरूपयोग से तथा दुषित या अपवित्र होने से पूजा–स्थल की रक्षा	10
16.	किसी स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के अधिकारों का परित्याग राज्य सरकार की मंजूरी से	10–11
17.	सुरक्षित स्मारकों में प्रवेश का अधिकार	11
18.	सुरक्षित क्षेत्र में संपत्ति–अधिकारों के उपयोग पर प्रतिबंध	11
19.	सुरक्षित क्षेत्र अर्जित करने की शक्ति	11
20.	सुरक्षित क्षेत्र में खुदाई	12
21.	सुरक्षित क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में खुदाई	12
22.	खुदाई कार्य के सिलसिलें में मिले पुरावशेष आदि का अनिवार्य अर्जन	12–13
23.	पुरातात्विक प्रयोजनों के लिए खुदाई आदि	13
24.	पुरावशेषों के स्थानांतरण पर नियंत्रण रखने की राज्य सरकार की शक्ति	13
25.	राज्य सरकार द्वारा पुरावशेषों का अर्जन	13–14
26.	हानि या क्षति के लिए मुआवजा	14
27.	मूल्य या मुआवजे का निर्धारण	14–15
28.	शक्ति का प्रत्यायोजन	15
29.	पुरावशेष की बिक्री, आदि का वर्जन	15
30.	किसी पुरावशेष की जाँच करने और उसका फोटोग्राफ लेने का अधिकार	15

31.	किसी पुरावशेष की जाँच करने और उसका फोटोग्राफ लेने का अधिकार	15
32.	किसी पुरावशेष के बारे में घोषणा	15–16
33.	पुरावशेष के खो जाने की रिपोर्ट	16
34.	प्रवेश, तलाशी, जप्ती इत्यादि की शक्ति	16
35.	कोई वस्तु आदि पुरावशेष अथवा कलानिधि है अथवा नहीं, इसे निश्चित करने की शक्ति	16–17
36.	शास्ति	17–18
37.	अपराधों के परिक्षणों का क्षेत्राधिकार	18
38.	कुल अपराध संसय होंगे	18
39.	जुर्माने के संबंध में विशेष उपबंध	18
40.	राज्य सरकार के देय रकय की वसूली	18
41.	प्राचीन स्मारक आदि, जिनका सुरक्षण बाद में आवश्यक न रह जाय।	18
42.	भूल आदि के सुधार की शक्ति	18–19
43.	इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई की रक्षा	19
44.	नियम बनाने की शक्ति	19–20
45.	इस अधिनियम का कतिपय प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व स्थलों और अवशेषों या पुरावशेषों पर लागू न होना	20

झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व–स्थल, अवशेष तथा कलानिधि विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापारित)

संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित प्राचीन स्मार और पुरातत्व–स्थलों तथा अवशेषों से भिन्न झारखण्ड–राज्य स्थित प्राचीलन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों के परिरक्षण, पुरातत्व खुदाई के विनियमन और पुरावशेषों के सुरक्षण का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

उद्देशिका :– भारत गणराज्य के सरसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–

1. यह अधिनियम झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व–स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम 2016 कहलायेगा।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

3. यह उस तारीख से प्रवृत होगा जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएँ :– जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरूद्ध न हो, इस अधिनियम में :–

(क) प्राचीन स्मारक से तात्पर्य है ऐसी कोई संरचना, निर्माण या स्मारक अथवा कोई स्तूप या शव गाड़ने या जलाने की जगह, या कोई गुफा, प्रस्तर–प्रतिमा, शिला–लेख या एकाश्म, जिसका ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक महत्त्व हो और जो कम से कम सौ वर्षों से विद्यमान हो, और इसके अन्तर्गत निम्न भी हैं :–

(i) उसका अवशेष,

(ii) उसका स्थल,

(iii) ऐसे स्थल से सटी भूमि का ऐसा भाग, जो उस स्थल के परिक्षण, सुरक्षण संधारण और अनुरक्षण के लिए आवश्यक या अपेक्षित हो, और

(iv) वहाँ तक पहुँचने उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण और मरम्मत के साधन।

(ख) पुरावशेष के अन्तर्गत निम्न है :–

(i) कोई मुद्रा, मूर्ति, चित्रकारी, पुरालेख या अन्य कलाकृति अथवा शिल्प।

(ii) किसी भवन या गुफा से अलग की कोई वस्तु, पदार्थ या चीज,

(iii) अतीतयुगीन विज्ञान, कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, नैतिकता या राजनीति निदर्शक कोई वस्तु, पदार्थ या चीज

(iv) ऐतिहासिक महत्व की कोई वस्तु, पदार्थ या चीज, और

(v) कोई ऐसी वस्तु, पदार्थ या चीज जिसे राज्य सरकार इतिहास या पुरातत्व से संबंध होने के कारण, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ पुरावशेष घोषित करें जो कम से कम सौ वर्षों से विद्यमान हो, और

(vi) कोई पाण्डुलिपि, अभिलेख अथवा अन्य प्रलेख जिसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक अथवा सौंदर्यबोधी महत्व हो तथा जो कम से कम पचहत्तर वर्षों से विद्यमान हो।

(ग) 'कलानिधि' से तात्पर्य है कोई मानवीय कलाकृति जो पुरावशेष न हो, और जिसे राज्य सरकार ऐतिहासिक एवं सौंदर्यबोधी महत्त्व रहने के कारण सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कलानिधि घोषित करें, बशर्ते ऐसी कलाकृति के संबंध में उसके सर्जक कलाकार के जीवनकाल में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जायेगी।

(घ) "पुरातत्व पदाधिकारी" से तात्पर्य है राज्य सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का कोई पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित पंक्ति से नीचे का न हो।

(ड.) "पुरातत्व स्थल और अवशेष" से तात्पर्य है ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्त्व के खंडहर या प्रागवशेष हो या जिसमें उनके होने का विश्वास युक्तियुक्त रूप से किया जाता हो, और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान हो और इसके अन्तर्गत निम्न भी है :–

(i) उस क्षेत्र से सटी भूमि का ऐसा भाग जो घेरने या ढकने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, और

(ii) उस क्षेत्र तक पहुँचने ओर उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन।

(च) 'निदेशक' से तात्पर्य है राज्य सरकार का पुरातत्व और संग्रहालय निदेशक तथा इसके अन्तर्गत निदेशक का कर्त्तव्य संपादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी भी है।

(छ) व्याकरण संबंधी परिवर्त्तनों और सजातीय पदों सहित 'अनुरक्षित करना' के अंतर्गत किसी सुरक्षित स्मारक को घेरना, ढकना, मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार और मार्जन, स्थल के अनुरूप समुचित वातावरण निर्माण तथा ऐसा कोई अन्य कार्य करना भी है जो किसी सुरक्षित स्मारक के परिरक्षण या वहाँ तक पहुँचने की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।

(ज) 'स्वामी' के अन्तर्गत है :–

(i) ऐसा संयुक्त स्वामी जिसे अपनी ओर से और अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्ति दी गई हो और ऐसे किसी स्वामी का हक उत्तराधिकारी, और

(ii) प्रबंध की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे प्रबंधक या न्यासी का पदीय उत्तराधिकारी,

(झ) 'विहित' से तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा विहित।

(ञ) 'सुरक्षित क्षेत्र' से तात्पर्य है कोई ऐसा पुरातत्व स्थल और अवशेष जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाय।

(ट) 'सुरक्षित स्मारक' से तात्पर्य है ऐसा प्राचीन स्मार जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सुरक्षित स्मारक घोषित किया जाय, और

(ठ) 'राज्य सरकार' से तात्पर्य है झारखण्ड की राज्य सरकार

प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व – स्थलों तथा अवशेषों का संरक्षण :–

3. प्राचीन स्मारकों आदि को सुरक्षित स्मारक और क्षेत्र घोषित करने की राज्य सरकार की शक्ति :–

(1) जब राज्य सरकार की राय हो कि किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष को इस अधिनियम के अधीन सुरिक्षत करने की जरूरत है, तो वह सरकारी जगट में अधिसूचना द्वारा उस प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष को यथास्थिति सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के अपने अभिप्राय का दो महीनों की नोटिस देगी और ऐसी हर अधिसूचना की एक प्रति, यथास्थिति उस स्मारक या उस पुरातत्व स्थल और अवशेष के निकट किसी ध्यानकर्षी स्थान में चिपका दी जाएगीं ।

(2) ऐसे किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व–स्थल और अवशेष से हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना जारी किए जाने के दो महीनों के भीतर, उस स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष के सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने पर आपत्ति कर सकेगा।

(3) उक्त दो महीनों की अवधि समाप्त होने पर, राज्य सरकार, यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उस पर विचार करने के बाद, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति उस प्राचीन स्मारक या पुरातत्व–स्थल और अवशेष को सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

(4) उप धारा (3) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना, जब तक उसे वापस न ले ली जाये, इस बात का निश्चायक प्रमाण होगी कि उससे संबंधित प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र है।

सुरक्षित स्मारक

4. किसी सुरक्षित स्मारक के अधिकार का अर्जन :–

(1) निदेशक, राज्य सरकार की मंजूरी से, किसी सुरक्षित स्मारक को खरद कर या पट्टे पर ले सकेगा अथवा उसे दान या परिचय के रूप में स्वीकार कर सकेगा।

(2) जब किसी सुरक्षित स्मारक का कोई स्वामी न हो, तो निदेश सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उस स्मारक का अभिभावकत्व ग्रहण कर सकेगा।

(3) किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी, लिखत के जरिये, निदेशक को स्मारक का अभिभावक बना सकेगा और निदेशक राज्य सरकार की मंजूरी से ऐसा अभिभावकत्व स्वीकार कर सकेगा।

(4) जब निदेशक उप धारा (3) के अधीन स्मारक का अभिभावकत्व स्वीकार कर लेगा तब स्वामी को इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबंधित स्थिति को छोड़कर स्मारक में वहीं सम्पदा स्वत्व अधिकार, हक और हित होगा, मानो निदेशक उसका अभिभावक नहीं बनाया गया हो, और धारा 5 के अधीन निष्पादित लिखित लिखत कर लागू होगा।

(5) इस धारा की किसी बात से परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किसी सुरक्षित स्मारक के उपयोग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. करार द्वारा सुरक्षित स्मारक का परिरक्षण :–

(1) राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्देश मिलने पर निदेशक किसी सुरक्षित स्मारक के स्वामी से प्रस्ताव करेगा कि वह स्मारक के अनुरक्षण के लिए किसी उल्लिखित अवधि के भीतर राज्य सरकार के साथ करार करें।

(2) इस धारा के अधीन करार में निम्न किसी या सभी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगी :–

क) स्मारक का अनुरक्षण

ख) स्मारक की अभिरक्षा और उसकी देख–रेख के लिये निष्पादित किसी व्यक्ति के कर्त्तव्य

ग) स्वामी के निम्न अधिकारों पर प्रतिबंध :–

(i) किसी प्रयोजन से स्मारक का उपयोग

(ii) स्मारक में प्रवेश या उसा निरीक्षण करने के लिये कोई शुल्क लेना,

(iii) स्मारक को नष्ट करना, हटाना, उसमें परिवर्त्तन करना या उसे विरूपित करना, अथवा,

(iv) स्मारक स्थल पर या उसके समीप निर्माण कार्य करना।

(घ) जनसाधारण या उसके किसी वर्ग को या पुरातत्व–पदाधिकारियों को अथवा स्वामी या किसी पुरातत्व पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को या राज्य सरकार द्वारा स्मारक के निरीक्षण या अनुरक्षण के लिए प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी या प्राधिकारी को स्मारक तक पहुँचाने की सुविधायें देना।

(ड.) यदि स्वामी वह भूमि, जिस पर स्मारक अवस्थित हो, या उससे सटी कोई भूमि बेचना चाहे तो उस दशा में राज्य सरकार को नोटिस देना और उस भूमि या उसके किसी खास भाग को बाजार मूल्य पर खरीदने के अधिकार को सरकार के लिए प्रारक्षित करना।

(च) स्मारक के अनुरक्षण के सिलसिले में स्वामी या सरकार द्वारा किये गये किसी खर्च का भुगतान।

(छ) यदि राज्य सरकार ने स्मारक के अनुरक्षा के सिलेसिले में कोई खर्च किया हो तो स्मारक के स्वत्व संबंधी या अन्य अधिकार का राज्य सरकार में निहित होगा।

(ज) करार से उत्पन्न किसी विवाद का निर्णय करने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति, और

(झ) स्मारक के अनुरक्षण से संबद्ध ऐसा कोई विषय जो स्वामी और राज्य सरकार के बीच करार का उचित विषय हो।

(3) राज्य सरकार या स्वामी इस धारा के अधीन हुए करार के निष्पादन की तारीख से तीन वर्ष बीत जाने के बाद, किसी भी समय अन्य पक्ष को छः महीनों की लिखित नोटिस देकर करार समाप्त कर सकेगा।

परन्तु यदि करार स्वामी द्वारा समाप्त किया जाय तो वह करार को समाप्ति के ठीक पूर्ववर्त्ती पांच वर्षों में या यदि करार इससे कम अवधि तक प्रवृत्त रहा है तो करार प्रवृत्त रहे की अवधि में स्मारक के अनुरक्षण पर राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी खर्च का भुगतान राज्य सरकार को करेगा।

(4) इस धारा के अधीन हुआ कोई करार उस व्यक्ति को भी बंधनकारी होगा तो इस करार से संबद्ध स्मारक का स्वामी होने का दावा ऐसे पक्ष से, इसके जरिये या अधीन करे जिस (पक्ष) के द्वारा या जिसी ओर से करार निष्पादित किया गया हो।

6. यदि किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी अशकत हो या वह स्मारक ग्राम–संपत्ति हो, तो उस स्मारक के संबंध में धारा 5 के अधीन की स्वामी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति :–

(1) यदि किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी नाबालिग होने या किसी समय अशकतता के कारण स्वयं कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी ओर से काम करने के लिए विधित, सक्षम व्यक्ति धारा 5 द्वारा स्वामी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) किसी ऐसे सुरक्षित स्मारक की दशा में जो ग्राम संपत्ति हो, मुखिया या ऐसी संपत्ति के प्रबंध को शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अन्य ग्राम पदाधिकारी धारा 5 द्वारा स्वामी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(3) इस धारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति जो उस व्यक्ति से भिन्न धर्म का हो जिसकी ओर से वह काम कर रहा हो, किसी ऐसी सुरक्षित स्मारक के संबंध में कोई करार करने निष्पादित करने के लिए शक्ति प्रदत्त नहीं समझा जायेगा, जो (स्मारक) या जिसका कोई भाग नियतकालि रूप से उस संप्रदाय की धार्मिक पूजा या अनुष्ठान के लिए उपयोग में लाया जाता हो।

7. किसी सुरक्षित स्मारक की मरम्मत के लिए धर्मस्व का उपयोग :–

(1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति जो किसी सुरक्षित स्माकर के अनुरक्षण के लिए धारा 5 के अधीन करार करने में सक्षम हो, ऐसा करार करना अस्वीकार करें या न करें, और यदि ऐसे स्मारक को अच्छी हालत में रखने के लिए या अन्य प्रयोजनों के साथ–साथ इसके प्रयोजनार्थ भी कोई धर्मस्व सृजित हो तो राज्य सरकार ऐसे धर्मस्व या उसके किसी भाग के समुचित उपयोग के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद चला सकेगी या यदि स्मारक की मरम्मत का प्राक्कलित खर्च पचास हजार रूपये से अधिक नहीं हो, तो जिला न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकेगी।

(2) उपरधारा–1 के अधीन किसी आवेदन की सुनवाई करते समय जिला न्यायाधीश स्वामी की ओर किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा, जिसका साक्ष्य लेना उसे आवश्यक जान पड़े तथा धर्मस्व या उसके किसी भाग के समुचित उपयोग के लिए आदेश दे सकेगा और ऐसे किसी आदेश को उसी प्रकार निष्पादित किया जा सकेगा, मानो वह किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री हो।

8. करार न करना या करने से अस्वीकार करना :–

(1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति जो किसी सुरक्षित स्मारक के अनुरक्षण के लिए धारा 5 के अधीन करार करने के लिए सक्षम हो, ऐसा करार करना अस्वीकार करें या न

करें तो राज्य सरकार धारा 5 की उपधारा (2) में उल्लिखित किसी या सभी बातों का उपबंध करने के लिए आदेश दे सकेगी तथा ऐसा आदेश स्वामी या उस अन्य व्यक्ति और ऐसे हर व्यक्ति के लिए बंधनकारी होगी, जो उस स्वामी या उस अन्य व्यक्ति से उसके जरिये या अधीन उस स्मारक पर हक का दावा करता हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गये किसी आदेश में वह उपबंध हो कि स्मारक का अनुरक्षण स्वामी या करार करने में सक्षम कोई अन्य व्यक्ति करेगा, तो स्मारक के अनुरक्षण के सारे समुचित खर्च भुगतान राज्य सरकार करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक न दिया जायेगा जब तक कि स्वामी या अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध लिखित अभिवेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

9. धारा 5 के अधीन किये गये करार के उल्लंघन के प्रतिषेध का आदेश देने की शक्ति :–

(1) यदि निदेशक को आशंका हो कि किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी या दखलकार धारा 5 के अधीन निष्पादित करार के बंधेजों का उल्लंघन करते हुए स्मारक को नष्ट करना, हटाना, परिवर्तित करना, विरूपित करना, खतरा पहुँचाना या उसका दुरूपयोग करना चाहता है, उसके निकट भवन बनाना चाहता है तो निदेशक स्वामी या दखलकार को लिखित अभिवेदन करने का अवसर देने के बाद, करार के ऐसे उल्लंघन के प्रतिषेध का आदेश दे सकेगा।

परन्तु किसी ऐसे मामले में ऐसा अवसर देने की जरूरत नहीं है जहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, निदेशक का समाधान हो जाय कि ऐसा करना हितकर या व्यवहारिक नहीं है।

(2) इस धारा के अधीन दिए हुए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति यथाविहित समय के भीतर और रीति से राज्य सरकार के पास अपील कर सकेगा और इस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

10. करार का प्रवर्त्तन :–

(1) यदि कोई स्वामी या अन्य व्यक्ति जो धारा 5 के अधीन निष्पादित करार द्वारा किसी स्मारक को अनुरक्षित करने के लिए बाध्य है, निदेशक द्वारा यथानियत समय के भीतर कोई

ऐसा कार्य करना अस्वीकार के लिये आवश्यक हो, तो निदेशक किसी व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और वह स्वामी या अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य करने का खर्च या खर्च का उतना अंश देने का भागी होगा जितना वह स्वामी करार के अधीन भुगतान कराने का भागी हो।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन स्वामी या अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतेय खर्च की रकम के बारे में कोई विवाद उठे तो वह राज्य सरकार के पास भेज दिया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

11. **कुछ नीलामों के खरीददार और स्वामी के जरिये दावा करने वाली व्यक्ति, स्वामी द्वारा निष्पादित लिखित से बाध्य होंगे :–**

ऐसा हर व्यक्ति जो भू–राजस्व के बकाये या किसी अन्य लोक–मांग के लिये हुए नीलाम में ऐसी भूमि खरीदे जिस पर कोई ऐसा स्मारक अवस्थित हो जिसके संबंध में तत्कालीन स्वामी ने धारा 5 के अधीन (उस समय) कोई लिखित निष्पादित किया हो और ऐसा हर व्यक्ति जो ऐसा लिखित निष्पादित करने वाले किसी स्वामी से उसके जरिये या उसके अधीन किसी स्मारक पर हक का दवा करे, उस लिखित से बाध्य होगा।

12. **सुरक्षित स्मारक का अर्जन :–**

यदि राज्य सरकार को यह आशंका हो कि किसी सुरक्षित स्मारक के नष्ट, क्षतिग्रस्त, दुरूपयोजित होने या शीर्ण होने को छोड़ दिए जाने का खतरा है तो वह लैंड एक्विजीशन ऐक्ट, 1894 (1, 1894) के उपबंधों के अधीन उस सुरक्षित स्मारक को अर्जित कर सकेगी, मानो सुरक्षित स्मारक का अनुरक्षण उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत लोक–प्रयोजन हो।

13. **कुछ सुरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण :–**

(1) राज्य सरकार ऐसे हर स्मारक का अनुरक्षण करेगी जो धारा 12 के अधीन अर्जित किया गया हो या जिसके संबंध में धारा 4 में उल्लिखित कोई अधिकार अर्जित किया गया हो।

(2) धारा 4 के अधीन किसी स्मारक का अभिभावकत्व ग्रहण कर लेने पर निदेशक उस स्मारक का निरीक्षण करने के लिए सभी उचित समयों पर स्वंय या अपने एजेंट, अधीनस्थ और कामगारों के जरिए उस स्मारक का निरीक्षण करने और ऐसी सामग्रियां लाने तथा ऐसे कार्य करने के लिए जो वह (निदेशक) स्मारक के अनुरक्षणार्थ आवश्यक या वांछनीय समझे, उस स्मारक पर जाने का अधिकार होगा।

14. **स्वैच्छिक अंशानुदान :–**

निदेशक किसी सुरक्षित स्मारक के अनुरक्षण संबंधी खर्च के लिए स्वैच्छिक अंशानुदान प्राप्त कर सकेगा और इस प्रकार प्राप्त अंशानुदानों के प्रबंध और उपयोग के लिए यथावश्यक सामान्य या विशेष निर्देश दे सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन प्राप्त कोई अंशानुदान, जिस प्रयोजन के लिए वह दिया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन में नहीं लगाया जायेगा।

15. **दुरूपयोग से तथा दुषित या अपवित्र होने से पूजा–स्थल की रक्षा :–**

(1) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित ऐसे सुरक्षित स्मारक का, जो पूजा का स्थान या तीर्थ स्थान हो, उपयोग उसकी प्रतिष्ठा के प्रतिकुल किसी प्रयोजन में न किया जायेगा।

(2) जब राज्य सरकार ने धारा 12 के अधीन कोई सुरक्षित स्मारक अर्जित किया हो या जब निदेशक ने किसी सुरक्षित स्मारक की धारा 4 के अधीन खरीदा या पट्टे पर लिया हो या उसे दान या वसीयत के रूप में स्वीकार किया हो या उसका अभिभावकत्व ग्रहण किया हो और जब ऐसा स्मारक या उसका कोई भाग किस सम्प्रदाय द्वारा धार्मिक पूजा या अनुष्ठानों के लिए उपयोग में लाया जाता हो, तो निदेश ऐसे स्मारक या उसके भाग को दूषित या अपवित्र होने से बचाने के लिये:–

(क) ऐसा प्रतिषेध करके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उक्त स्मारक या उसके किसी भाग को उपयोग में लाने वाले सम्प्रदाय की धार्मिक प्रथाओं के अनुसार वहां जाने का हकदार नहीं है, उक्त स्मारक या उसके किसी भाग के धार्मिक भारसाधक व्यक्तियों की, यदि हो, सम्मति से विहित शर्त्तों के अनुसार ही उसमें प्रवेश कर सकेगा अन्यथा नहीं, या

(ख) ऐसी अन्य कार्रवाई करके जो निदेशक इस निमित्तर आवश्यक समझें, उचित व्यवस्था करेगा।

16. **किसी स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के अधिकारों का परित्याग राज्य सरकार की मंजूरी से, निदेशक :–**

(क) जब निदेशक ने इस अधिनियम के अधीन किसी स्मारक के संबंध में किसी बिक्री, पट्टे, दान या वसीयत के जरिये अर्जित किया गया कोई अधिकार सरकारी गजट में अधिसूचना निकाल कर इस प्रकार अर्जित अधिकारों का परित्याग उस व्यक्ति के हित में

करेगा जो उस समय उस स्मारक का स्वामी होता परित्यक्त कर सको यदि ऐसा अधिकार अर्जित नहीं किया गया होता, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन ग्रहण किये गये किसी स्मारक के अभिभावकत्व का परित्याग कर सकेगा।

17. सुरक्षित स्मारकों में प्रवेश का अधिकार :–

इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन रहते हुए सर्वसाधारण को किसी सुरक्षित स्मारक में प्रवेश का अधिकार होगा।

सुरक्षित क्षेत्र

18. सुरक्षित क्षेत्र में संपत्ति–अधिकारों के उपभोग पर प्रतिबंध :–

(1) किसी सुरक्षित क्षेत्र के स्वामी या दखलकार सहित कोई व्यक्ति, राज्य सरकार की अनुमति के बिना न तो किसी सुरक्षित क्षेत्र के भीतर कोई भवन या अन्य निर्माण कार्य करेगा, न उस क्षेत्र में खनन, उत्खनन, खुदाई, विस्फोट या इस प्रकार का कोई अन्य कार्य करेगा, ओर न उस क्षेत्र या उसके किसी भाग का अन्य उपयोग करेगा।

परन्तु इस उपधारा के उपबंध से किसी ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग का कृषि के लिए उपयोग प्रतिषिद्ध न समझा जायेगा, यदि कृषि के लिए सतह से एक फुट से अधिक गहरी मिट्टी खोदना न पड़े।

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा(1) के उपबन्धों के विरूद्ध किसी सुरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित भवन या अन्य निर्माण उल्लिखित अवधि के भीतर हटा दिया जाय और यदि वह व्यक्ति उस आदेश का अनुपालन करना अस्वीकार करे या उसका पालन न करे तो निदेशक उस भवन को हटवा सकेगा और भवन हटवाने का खर्च उस व्यक्ति द्वारा देय होगा।

19. सुरक्षित क्षेत्र अर्जित करने की शक्ति :–

यदि राज्य सरकार किसी स्मारक/संरक्षित स्थल/क्षेत्र का संरक्षण आवश्यक समझे तो भू–अर्जन अधिनियम (लैंड एक्विजीशन ऐक्ट), 1894, (1, 1894) के उपबंधों के अधीन उस क्षेत्र को लोक प्रयोजन के हित में अर्जित कर सकेगी।

पुरातात्विक खुदाई

20. सुरक्षित क्षेत्रों में खुदाई :–

कोई पुरातत्व पदाधिकारी या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या इस अधिनियम के अधीन इसके लिए दिया गया लाइसेंस धारण करने वाला कोई व्यक्ति (आगे लाइसेंसधारी के रूप में निर्दिष्ट) निदेशक और स्वामी की लिखित सूचना देने के बाद, किसी सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश और उसकी खुदाई कर सकेगा अगर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व–स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (24, 1958) की धारा 24 के उपबंधों के प्रतिकुल न हो।

21. सुरक्षित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में खुदाई :–

प्राचीन स्मार एवं पुरातत्व–स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, (24, 1958) की धारा 24 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि किसी पुरातत्व पदाधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि सुरक्षित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के खँडहर या पुरावशेष है तो वह या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई पदाधिकारी, निदेशक और स्वामी को लिखित सूचना देने के बाद, उस क्षेत्र में प्रवेश और उसकी खुदाई कर सकेगा। अगर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व–स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (24, 1958) की धारा 24 के उपबंधों के प्रतिकुल न हो।

22. खुदाई–कार्य के सिलसिले में मिले पुरावशेष आदि का अनिवार्य अर्जनः–

(1) जब धारा 20 या धारा 21 के अधीन किसी क्षेत्र में की गई खुदाई में कोई पुरावशेष मिले तो, यथास्थिति, पुरातत्व पदाधिकारी या लाइसेंसधारी।

(क) यथाशीघ्र उन पुरावशेषों की जांच करेगा और राज्य सरकार को यथाविहित रीति से और यथाविहित विवरण के साथ एक प्रतिवेदन देगा।

(ख) खुदाई–कार्य समाप्त होने पर इन पुरावशेषों के प्रकार के संबंध में उस भूमि के स्वामी को लिखित सूचना देगा जिस भूमि से ये पुरावशेष प्राप्त हुए हों।

(2) जब तक उपधारा (3) के अधीन ऐसे पुरावशेषों का अनिवार्य अर्जन का आदेश नहीं दिया जाय तब तक, यथास्थिति पुरातत्त्व–पदाधिकारी या लाइसेंसधारी उन्हें ऐसी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जो ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिवेदन मिलने पर राज्य सरकार ऐसे किन्हीं पुरावशेषों का अनिवार्य अर्जन का आदेश दे सकेगी।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन किसी पुरावशेष के अनिवार्य अर्जन का आदेश दिया जाए तब वह पुरावशेष आदेश की तारीख से राज्य सरकार में निहित हो जायेगा।

23. पुरातात्विक प्रयोजनों के लिए खुदाई आदि :–

धारा 21 में यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर कोई पुरातत्त्व– पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन बिना और राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ बनाये गये नियमों या दिए गए निर्देशों का अनुसरण किए बिना, ऐसे क्षेत्र में, जो सुरक्षित क्षेत्र न हो, पुरातात्विक प्रयोजनों के लिए कोई खुदाई या इस तरह का कोई अन्य कार्य न तो करेगा, न किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत ही करेगा।

पुरावशेषों का सुरक्षण

24. पुरावशेषों के स्थानान्तरण पर नियंत्रण रखने की राज्य सरकार की शक्ति :

1. (1) यदि राज्य सरकार समझे कि कोई पुरावशेष या पुरावशेष–वर्ग उसकी मंजूरी के बिना किसी स्थान से नहीं हटाया जाना चाहिए, जहां वह रखा गया है, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा कोई पुरावशेष या पुरावशेष–वर्ग निदेश को लिखित अनुमति के बिना नहीं हटाया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए हरेक आवेदन–पत्र यथाविहित प्रपत्र में होगा और उसमें यथाविहित विवरण दिये जायेंगे।

(3) अनुमति की अस्वीकृति के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के पास अपील की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

2. राज्य के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा रक्षित पुरावशेष (मूर्त्ति, चित्रकारी, अभिलेख, प्राचीन भवन आदि का कलात्मक खंडित अंश, पाण्डुलिपि, शिल्प आदि) का निबंधन, पुरातत्त्व विभाग में कराना अनिवार्य होगा जिसके लिए एक पुरातात्विक पदाधिकारी मनोनीत होगा। इस अधिनियम में निर्धारित प्रावधान के विपरीत कार्य करने वाला व्यक्ति 25,000 रूपये तक दंड अथवा तीन माह तक के कारावास अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

25. राज्य सरकार द्वारा पुरावशेषों का अर्जन :

(1) यदि राज्य सरकार को यह आशंका हो कि धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उल्लिखित किसी पुरावशेष के नष्ट, स्थानान्तरित, क्षतिग्रस्त दुरूपयोजित होने या शीर्ण होने का भय है अथवा राज्य सरकार की यह राय है कि उक्त पुरावशेष को उसके ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के कारण किसी सार्वजनिक स्थान में सुरक्षित रखना वांछनीय है, तो राज्य सरकार उक्त पुरावशेष के स्वामी को उसके अर्जन के संबंध में नोटिस देगा।

(2) जब किसी पुरावशेषों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन अनिवार्य अर्जन की नोटिस दी जाए, तब ऐसा पुरावशेष नोटिस की तारीख से ही राज्य सरकार में निहित हो जाएगा।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त अनिवार्य अर्जन शक्ति यथार्थ धार्मिक अनुष्ठानों में वस्तुतः ध्वस्त किसी प्रतिमा या प्रतीक पर लागू न होगी।

मूल्यांकन एवं मुआवजें के सिद्धान्त

26. हानि या क्षति के लिए मुआवजा :–

यदि भूमि के किसी स्वामी या दखलकार को अपनी किसी भूमि में प्रवेश या खुदाई किये जाने के कारण अथवा इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अन्य शक्ति के प्रयोग के चलते कोई हानि, क्षति या उस भूमि से होने वाले मुनाफे में कमी हुई हो तो राज्य सरकार उसे ऐसी हानि, क्षति या मुनाफे की कमी के लिये मुआवजा देगी।

27. मूल्य या मुआवजे का निर्धारण :–

(1) जब किसी ऐसी भूमि के मूल्य या मुआवजे के संबंध में, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उक्त मूल्य पर अर्जित करने के लिए शक्ति–संपन्न है, या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे के संबंध में विवाद उठे, तो वह मूल्य या मुआवजे की रकम, लैंड एक्विजीशन ऐक्ट, 1894 (1, 1894) की धारा 3, 5, 8 से 34, 45, 46, 51 और 52 में उपबंधित रीति से, जहाँ तक ये धाराएँ लागू होती हों, निश्चित की जायेगी।

परन्तु, लैंड एक्जिजीशन ऐक्ट के अधीन जांच करते समय समाहर्ता दो असेसरों की सहायता लेगा, जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा नियत समय के भीतर मनोनीत सक्षम व्यकित होगा और दूसरा व्यक्ति संबद्ध स्वामी द्वारा अथवा यदि उक्त स्वामी इसके लिए समाहर्ता द्वारा नियत समय के भीतर असेसर मनोनीत न करे, तो स्वयं समाहर्ता द्वारा मनोनीत होगा।

(2) जब किसी ऐसे पुरावशेष के मूल्य के संबंध में, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उक्त मूल्य पर अर्जित करने के लिए शक्ति सम्पन्न है, या इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्य के लिये, राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मूल्य के संबंध में विवाद उठे तो समाहर्ता दो असेसरों की सहायता लेगा जिसमें एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सक्षम व्यक्ति हो और दूसरा व्यक्ति संबद्ध स्वामी द्वारा अथवा यदि उक्त स्वामी इसके लिए समाहर्ता द्वारा नियत समय के भीतर असेसर मनोनीत न करें, तो स्वयं समाहर्ता द्वारा मनोनीत होगा।

(3) उपधारा (1) या लैंड एक्विजीशन ऐक्ट, 1894 (1, 1894) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी पुरावशेष का जिसके अनिवार्य अर्जन के संबंध में धारा 22 की धारा (2) या धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, मूल्य या मुआवजा निर्धारित करते समय उक्त पुरावशेष के ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के कारण उसके मूल्य में हुई वृद्धि पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रकीर्ण

28. शक्ति का प्रत्यायोजन :–

राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य–सरकार की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, उस निर्देश में उल्लिखित शर्त्तों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी भी कर सकेंगे जो उस निर्देश में उल्लिखित हों।

29. पुरावशेष के व्यापार के लिये लाइसेंस :–

कोई भी व्यक्ति, एन्टिक्विटीज एण्ड आई ट्रेजर्स ऐक्ट, 1972 (52, 1972) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये लाइसेंस के अधीन ही किन्हीं पुरावशेषों एवं कला निधियों का व्यापार कर सकेगा, अथवा नहीं।

30. पुरावशेष की बिक्री, आदि का वर्जन :–

कोई भी व्यक्ति एन्टिक्विटीज एण्ड आर्ट ट्रेजर्स ऐक्ट, 1972 (52, 1972) की धारा 5 एवं 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना, न तो किसी पुरावशेष या कलानिधि की बिक्री करेगा, न उसे हटायेगा अथवा उसका दान करेगा या उसके स्वामित्व को अन्यथा अंतरित करेगा।

31. किसी पुरावशेष की जांच करने और उसा फोटोग्राफ लेने का प्राधिकार:–

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुरातत्व पदाधिकारी, किसी ऐसे पुरावशेष की जांच कर सकेगा और उसका फोटोग्राफ ले सकेगा जो किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था अथवा (प्राइवेट) निजी संग्रहालय के कब्जे या अभिरक्षा में हो।

32. किसी पुरावशेष के बारे में घोषणा :–

(1) जो कोई व्यक्ति किसी पुरावशेष का स्वामी हो अथवा कोई पुरावशेष उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, वह इस अधिनियम के प्रारंभ के साठ दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा निदेशक को अथवा यथाविहित प्राधिकारी को यथाविहित फारम में करेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद, जो कोई व्यक्ति किसी पुरावशेष का स्वामी हो अथवा कोई पुरावशेष उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में आये वह ऐसे पुरावशेष को स्वामी होने या उसे अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में लेने के पन्द्रह दिनों के भीतर निदेशक अथवा यथाविहित प्राधिकारो, को, यथाविहित फॉरम में इस आशय की घोषणा करेगा परन्तु उपर्युक्त उपबंध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पदाधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

33. पुरावशेष के खो जाने की रिपोर्ट :–

जो कोई व्यक्ति किसी पुरावशेष का स्वामी हो अथवा (कोई पुरावशेष) उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई पुरावशेष हो, वह उसके खोने या नष्ट होने की दशा में पुरावशेष के खोने या नष्ट होने के साठ दिनों के भीतर यथाविहित प्राधिकारी को यथाविहित फॉरम में इसकी जानकारी देगा।

34. प्रवेश, तलाशी, जप्ती इत्यादि की शक्ति :–

(1) कोई व्यक्ति जो सरकारी पदाधिकारी हो तथा जो एतदर्थ राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन हेतु अथवा अपने को संतुष्ट करते हुए कि इस अधिनियम के उपबंध अनुपालित हुए हैं :–

(i) किसी स्थान में प्रवेश तथा उसी तलाशी कर सकता है।

(ii) किसी पुरावशेष अथवा कलानिधि को जप्त कर सकता है जिसके संबंध में उसे संदेह हो कि इस अधिनियम का कोई उपबंध उल्लंघित हुआ है अथवा हो रहा है अथवा होने वाला है तथा तत्पश्चात् इस प्रकार जप्त पुरावशेष अथवा कलानिधि को न्यायालय में पेश (प्रस्तुत) करने हेतु तथा पेश करने के समय तक उसकी पूर्ण अभिरक्षा के निमित्त समस्त आवश्यक उपाय कर सकता है।

(2) तलाशी और जप्ती से संबंधित आपाराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100(1), 100(3), 100(4) एवं 100 (5) के उपबंध, जहाँ तक संभव हो, इस धारा के अन्तर्गत तलाशी और जप्ती में भी लागू होंगे।

35. कोई वस्तु आदि पुरावशेष अथवा कलानिधि है अथवा नहीं, इसे निश्चित रने की शक्ति :–

यदि ऐसा प्रश्न उठे कि कोई वस्तु, पदार्थ, चीज अथवा हस्तलेख, लिखित प्रमाण अथवा अन्य प्रलेख इस अधिनियम के अन्तर्गत पुरावशेष अथवा कलानिधि है कि नहीं, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, झारखण्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी

को यह मामला सौंप दिया जायेगा तथा निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

36. शास्ति :–

(1) यदि कोई व्यक्ति :–

(क) किसी सुरक्षित स्मारक को नष्ट, स्थानान्तरित, क्षतिग्रस्त, परिवर्तित, विरूपित, आपदाग्रस्त या दुप्पयोजित करें, या

(ख) किसी सुरक्षित स्मारक का स्वामी या दखलकार होते हुए धारा 8 की उपधारा (1) या धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करें, या

(ग) किसी सुरक्षित स्मारक से कोई मूर्त्ति, नक्काशी, प्रतिमा, अध्याचित, पुरालेख या इस प्रकार की कोई अन्य वस्तु हटाये, या

(घ) धारा–18 की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करें, या

(ड.) धारा–32 की अपेक्षानुसार घोषणा करने में असफल रहे, या

(च) धारा–33 की अपेक्षाओं के अनुसार सूचना देने में असफल रहे, तो उसे तीन महीने तक के कारावास का या पांच हजार रूपये तक के जुर्माने का या दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकेगां

(2) जो व्यक्ति :–

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुदान लाइसेंस के बिना पुरावशेष का व्यापार करेगा, अथवा

(ख) राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई पुरावेशष या कलानिधि बेचेगा, हटाएगा या उसे दान करेगा या अन्यथा उसके स्वामित्व या अन्तरण करेगा, अथवा

(ग) किसी मंदिर, पुरातत्व स्थल, प्राइवेट संग्रहालय अथवा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान से किसी पुरावशेष या कलानिधि की चोरी करेगा, वह तीन वर्ष तक के कारावास या पचास हजार रूपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए कोई पुरावशेष हटावे, तो उसे पच्चीस हजार रूपये तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा और न्यायालय किसी व्यक्ति को ऐसे उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए कोई पुरावशेष हटावें, तो उसे पच्चीस हजार रूपये तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकेगा और न्यायालय किसी व्यक्ति को ऐसे उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए यह

आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति उक्त पुरावशेष की उसी जगह पुनःस्थापित कर दे जहाँ से वह हटाया गया हो।

37. अपराधों के परीक्षण का क्षेत्राधिकार :–

द्वितीय श्रेणी न्यायायिक दंडाधिकारी न्यायालय से निम्न स्तर का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का परीक्षण न करेगा।

38. कुछ अपराध संज्ञेय होंगे :–

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 36, के उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) तथा उपधारा–2 के खण्ड–ग के अधीन किया गया अपराध इस संहिता के अर्थ में संज्ञेय अपराध समझा जायेगा।

39. जुर्माने के संबंध में विशेष उपबंध :–

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक दंडाधिकारी के लिये यह विधिसंगत होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन दो हजार रूपये से अधिक जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहरायें गये व्यक्ति को दो हजार रूपये से अधिक जुर्माने की सजा दे।

40. राज्य–सरकार को देय रकम की वसूली :–

इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को देय रकम, निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी पुरातत्व पदाधिकार द्वारा जारी किये गये सर्टिफिकेट पर, उसी रीति से वसूली जायेगी जैसे भू–राजस्व का बकाया वसूला जाता है।

41. प्राचीन स्मारक आदि, जिनका सुरक्षण बाद में आवश्य न रह जायः–

यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व – स्थल और अवशेष का सुरक्षण आवश्य न रह गया हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि यथास्थिति, वह प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक या पुरातत्व–स्थल और अवशेष इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अब सुरक्षित क्षेत्र नहीं रह गया।

42. भूल, आदि के सुधार की शक्ति :–

इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सुरक्षित स्मारक या सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किसी प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल और अवशेष के विवरण में यदि कोई

लेखन–अशुद्धि, स्पष्ट गलती या आकस्मिक भूल–चूक के फलस्वरूप त्रुटि हुई हो तो, उसे राज्य सरकार, किसी भी समय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा शुद्ध कर सकेगी।

43. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाइ की रक्षा :–

इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त, शक्ति के प्रयोग में किए गए या सद्भावपूर्वक किए जाने से अभिप्रेत किसी काम के संबधं में किसी लोक सेवक के विरूद्ध मुआवजा के लिए वाद न चलया जाएगा, न कोई दंड–कार्यवाही ही चलाई जायेगी।

44. नियम बनाने की शक्ति :–

(1) राज्य–सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये नियम बना सकेगा।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्न किसी या सभी बातों का उपबंध किया जा सकेगा।

(क) किसी सुरक्षित स्मारक के निकट खनन, उत्खनन, खुदाई, विस्फोट या इस प्रकार का कोई अन्य कार्य अथवा ऐसे स्मारक से सटी भूमि पर भवन–निर्माण और कोई अप्राधिकृत भवन तोड़ना, प्रतिसिद्ध करना अथवा लाइसेंस द्वारा या अन्यथा विनियमित करना।

(ख) सुरक्षित क्षेत्रों में पुरातत्त्वीय प्रयोजनार्थ खुदाई करने के लिए लाइसेंस और अनुमति देना, प्राधिकारियों द्वारा और किन शर्त्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए ऐसे लाइसेंस दिये जायेंगे, लाइसेंस–धारियों से प्रतिभूति लेना और ऐसे लाइसेंसों के लिए फीस लेना।

(ग) किसी सुरक्षित स्मारक में सार्वजनिक प्रवेश का अधिकार और इसके लिये फीस यदि कोई हो, लेना।

(घ) धारा–22 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी पुरातत्व पदाधिकारी या लाइसेंसधारी को रिपोर्ट का फार्म और उसकी विषय वस्तु।

(ड.) धारा–18 या धारा 24 के अधीन अनुमति के लिये आवेदन करने का फारम और उसमें भरे जाने वाले ब्योरे।

(च) इस अधिनियम के अधीन अपील करने का फारम और रीति और कितने समय के भीतर यह दायर किया जा सकेगा।

(छ) इस अधिनियम के अधीन आदेश या नोटिस तामिल करने की रीति।

(ज) पुरातत्त्वीय प्रयोजनार्थ खुदाई और इस तरह का अन्य कार्य करने की रीति, और

(झ) कोई अन्य विषय, जो विहित करना हो या किया जा सके।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम में उपबंध किया जा सकेगा कि उसका भंग निम्न रूप से दंडनीय होगा :–

(1) उपधारा–2 के खंड–क के प्रसंग में बने नियम की दशा में तीन महीने तक का कारावास या पच्चीस हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों।

(2) उपधारा–2 के खंड–ख के प्रसंग में बने नियम की दशा में पच्चीस हजार रूपये तक जुर्माना, और

(3) उपधारा–2 के खंड–ग के प्रसंग में बने नियम की दशा में पच्चीस हजार रूपये तक जुर्माना।

(4) इस धारा के अधीन बना हरेक नियम बनने के बाद यथाशीघ्र, झारखण्ड विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा, जो चाहे एक ही सत्र में पड़े या लगातार दो सत्रों में और जिस सत्र में यह इस प्रकार रखा जाए उस सत्र या उससे ठीक सत्र की समाप्ति के पूर्व यदि झारखण्ड विधान सभा नियम में कोई रूपभेद करने के लिए सहमत हो, अथवा यदि झारखण्ड विधान सभा सहमत हो कि वह नियम न बनाया जाए, तो वह नियम उसके बाद, यथास्थिति वैसे रूपभेदित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी न होगा, किन्तु ऐसा कोई रूपभेदया अवशून्यन उस नियम के अधीन पहले की गयी किसी बात की मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगां

45. इस अधिनियम का कतिपय प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व स्थलों और अवशेषों या पुरावशेषों पर लागू न होना :–

इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित विषयों पर लागू न होगी:–

(क) ऐसे प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व–स्थलों और अवशेषों पर, जो एन्शिएंट मोन्युमेंट्स एण्ड आर्क्योलोजिकल साईट्स ऐण्ड रिमेन्स ऐक्ट, 1958 (24, 1958) के द्वारा या अधीन या संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व वाले घोषित किए गए हों या इसके बाद घोषित किए जायें।

(ख) ऐसे पुरावशेषों पर, जिन पर ऐन्शिएंट मोन्युमेंट्स ऐण्ड आर्क्योलोजिकल साईट्स एण्ड रिमेन्स ऐक्ट, 1958 (24, 1958) के उपबंध तत्काल लागू हों। (ग) ऐसे प्राचीन स्मारकों या पुरातत्व स्थलों और अवशेषों या पुरावशेषों पर, जिन पर एन्शिएंट मोन्युमेंट्स प्रियर्वेशन ऐक्ट, 1904 (7, 1904) के उपबंध तत्काल लागू हो ।

यह विधेयक झारखण्ड प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कालानिधि विधेयक, 2016 दिनांक 16 मार्च, 2016 को झारखण्ड विधान सभा में उदभूत हुआ और दिनांक 16 मार्च, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 3—50—5—4—2016 ।